रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 1972/फाल्गुन 30, 1893
No. 86] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 1972/PHALGUNA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March 1972

G.S.R. 202(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the Central Government hereby appoints the 1st April, 1972, as the date on which the said Act shall come into force in the whole of the State of Tripura.

[No. 1-1(Enf)/70-VS.]

A. CHANDRA SEKHAR, Jt. Secy.

गृह मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च 1972

जी० एस० आर० 202 (अ)—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रथम अप्रैल, 1972 एसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम त्रिपुरा के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त होगा।

[सं० 1-1 (ई एन एफ)/70—वी० एस०]

ए० चन्द्र शेखर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972